

10/02/2020

वकुलाय उपस्थित।  
पत्रावली को गहनता से अवलोकन किया एवं वकील प्राधी की बहस सुनी गयी जिसे ध्यान दिया कि मूल वाद माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है।

कतः मूल वाद माननीय R/B में विचाराधीन होने एवं इस प्रा.प. में भी किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किया हुआ नहीं है ऐसी स्थिति में इस प्रा.प. को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है इसलिए प्राथमिक खारिज किया जाता है।

पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

  
सहायक फिलेक्टर  
प्राधी

